# उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0सरकार का उपक्रम)

**U.P. Power Corporation Limited**

(U.P.Govt. Undertaking)

17

संख्याः 186 प्र0सु0 (01)/पाकालि/07/5प्र0सु0/2007

दिनांकः 19 जुलाई, 2007

महत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमाँचल/पूर्वांचल/दक्षिणाँचल/मध्याँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,
मेरठ/वाराणसी/आगरा/लखनऊ/कानपुर।

विषयः– मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित प्राथमिकताओं के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मुख्य मंत्री जी की निम्न प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में आपको मैंने अपने पत्र संख्या 315/पीएसएमडी/07 दिनांक 30.05.2007 द्वारा अवगत कराया था तथा आपसे अनुरोध किया गया था कि इन प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन/अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाये।

1. समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे एकजुट होकर पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं मनोयोग से सरकार की समस्त प्राथमिकताओं का वास्तविक क्रियान्वयन धरातल स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।
2. अधिकारियों को किसी भी प्रकार के दबाव के बिना पूरी जिम्मेदारी एवं ईमानदारी के साथ सही कार्य करना चाहिये।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ग जाति एवं धर्म से ऊपर उठकर उ0प्र0राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुरूप आचरण करना होगा। जो अधिकारी ऐसा करते हुये अच्छे परिणाम देंगे उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन सरकार की ओर से दिया जायेगा। इसी प्रकार विकास कार्यों में भी जो अधिकारी अच्छा परिणाम दिखायेंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जायेगा। जो अधिकारी सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जायेगा। यह अधिकारियों पर निर्भर है वे खुद ही तय कर लें कि वह किस श्रेणी में रहना चाहते हैं।
4. प्रदेश में आज भी बहुत गरीबी है और गरीबों पर ज्यादती होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग न्याय पाने की उम्मीद में प्रदेश मुख्यालय लखनऊ आते हैं जबकि उनकी समस्या का समाधान जनपद स्तर पर या स्थानीय स्तर पर ही हो जाना चाहिए।
5. प्रत्येक जिले में प्रत्येक मंगलवार को 10:00 बजे से तहसील स्तर पर कानून–व्यवस्था और विकास से सम्बन्धित तहसील स्तरीय सभी अधिकारी व उप जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित रहकर जनता की शिकायतें सुनेंगे और उसका मौके पर ही निस्तारण करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जायेगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
6. इसी प्रकार जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त तथा विभिन्न विभागों के मण्डलीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी भी रविवार और मंगलवार को छोड़कर शेष सभी कार्य दिवसों में पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अपने मुख्यालय में बैठेंगे और जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निदान करेंगे।
7. यदि किसी कारणवश कोई अधिकारी उपस्थित नही हो पा रहा है तो उच्चाधिकारी की अनुमति लेकर लिखित आदेश के द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारी को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक जनता की शिकायत सुनने और निस्तारण के लिए उपस्थित रहने हेतु अधिकृत करेगा जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. राज्य स्तरीय अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और यदि यह पाया जायेगा कि क्षेत्र में इस व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही नही हो रही है तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और ऐसे तथ्य मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाये जायेंगे।

9. मा0 मुख्य मंत्री जी ने भविष्य में मण्डलीय बैठकें आयोजित न किये जाने की बात करते हुए स्वयं के द्वारा ग्राम स्तर पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण की बात कही है।

10. सभी स्तर की बैठकें सम्बन्धित मुख्यालयों में होंगी। इन तिथियों में यदि कोई सरकारी अवकाश व अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो तो इन तिथियों में एक दो दिनों का परिवर्तन भी किया जा सकता है।

11. हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकासमुक्त व्यवस्था लागू करना सरकार की मंशा है। अब "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" विकास की नीति होगी जिससे सभी वर्ग को अपने आपको विकसित करने का अवसर मिले। विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक व अन्य वर्गों के गरीब व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

12. विकास के सभी कार्य पूरे कराने हैं परन्तु 04 क्षेत्रों को विशेषकर प्राथमिकता दी जानी है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जनता से जुड़े हुये हैं। ये क्षेत्र हैं:-

(1) ग्रामीण विकास
(2) शहरी विकास
(3) स्थाई रोजगार सृजन
(4) जन सुविधायें

13. सरकार सर्वाधिक ध्यान ग्रामीण विकास पर देगी क्योंकि वहीं पर अधिसंख्य आबादी निवास करती है जो अनेंको समस्याओं से जूझ रही है। जिन गावों में दलितों, पिछड़ो धार्मिक अल्पसंख्यकों और सवर्ण वर्ग के निर्धनों की ज्यादा संख्या है वह गांव अविकसित है। इस हेतु ग्राम सभाओं को विकास कार्यों से जोड़ना होगा।

14. सभी ग्राम सभाओं का विकास करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा। मुख्य मंत्री जी ने अपने पूर्व कार्यकालों में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों के लिये डॉ0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना लागू की थी जिसका नाम संशोधित करके अब इसे डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना कहा जायेगा। पूर्व सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत देहातों का विकास करने के लिये 37 योजनायें तैयार की हैं जिसमें 13 योजनायें महत्वपूर्ण रहेंगी।

15. इस योजना में वर्ष 1995, 1997 व वर्ष 2002 के वर्षों में चयनित गांवों के जो विकास कार्य अपूर्ण रह गये थे उनको 30 जुलाई, 2007 तक पूरा किया जाये। साथ ही उपरोक्त अवधि में चयनित ऐसे अम्बेडकर ग्राम जहाँ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु उन कार्यों में मरम्मत की आवश्यकता है उक्त कार्यों की मरम्मत व रख-रखाव का कार्य भी 30 जुलाई, 2007 तक पूर्ण कर लिया जाये। इसके पश्चात् पहली अगस्त से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में पाँच ग्राम सभायें चयनित की जायेंगी।

16. मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिये कि भुखमरी से किसी भी व्यक्ति की मौत नही होनी चाहिये और यदि ऐसी घटना होती है तो सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। जिला स्तर पर कर्जो की वसूली करते समय मानवीय पहलू का ध्यान रखा जाये और कर्ज अदा करने वाले व्यक्ति को इतना मजबूर न किया जाये कि उसे आत्म हत्या करनी पड़े।

17. खराब ट्रांसफार्मरों को अगले 15 दिनों के अन्दर ठीक करा दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि जितने घण्टे बिजली की आपूर्ति घोषित है उतनी बिजली जरूर मिले। बिजली चोरी को सख्ती से रोका जाये।

18. राज्य सरकार तथा सभी अधीनस्थ संस्थाओं में आरक्षण का बैकलाग तथा नयी नियुक्तियों में आरक्षण छः माह के अन्दर अभियान के रूप में पूरा किया जाये और इसकी रिपोर्ट हर महीने मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाये। छः माह के बाद अभियान की प्रगति की समीक्षा मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर पर की जायेगी।

19. सरकार द्वारा किसी भी दशा में विकास कार्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और साफ सुथरा शासन-प्रशासन कायम किया जायेगा। विकास के सम्बन्ध में शासन की नीति "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की होगी। समाज के हर वर्ग और विशेष कर दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा ऊँची जातियों के अति निर्धन लोगों के विकास के बारे प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जायेगा।

20. प्रत्येक मंगलवार को तहसील स्तर पर प्रातः 10:00 बजे से तहसील दिवस आयोजित किया जायेगा जिसमें राजस्व, विकास, पुलिस तथा अन्य विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि जन-समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही हो जाये। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक इन

तहसील दिवसों में बारी–बारी से उपस्थित रहेंगे। भविष्य में तहसील दिवस जन–समस्याओं के निराकरण का केन्द्र होगा। सभी अधिकारी ठीक समय पर अपने कार्यालय पहुँचेंगे और घर से अथवा अन्यत्र से कार्यालय का कार्य निस्तारण नहीं करेंगे। विलम्ब से कार्यालय आने को गम्भीरता से लिया जायेगा। मण्डलायुक्त समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

21. मंगलवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रत्येक अधिकारी अपनी तैनाती के मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जनता की समस्यायें सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। अधिकारीगण समय से कार्यालय में बैठ रहे हैं या नहीं आकस्मिक निरीक्षण कर मण्डलायुक्त समय–समय पर इसकी जाँच करेंगे। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपना निवास अपनी तैनाती के स्थान पर ही बनायेगा।

22. विकास से जुड़े अधिकारी फील्ड स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता को सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्य में कोई शिथिलता पाई जाती है तो अधिकारियों के वार्षिक आंकलन में उसे लिखा जायेगा। मा0 मुख्य मंत्री के निरीक्षण में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कनिष्ठ अधिकारियों के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

23. मण्डलायुक्त क्षेत्र का दौरा करके वास्तविकता स्वयं देखेंगे और मुख्य मंत्री कार्यालय को अवगत करायेंगे। इन गाइड लाइन्स के अनुरूप प्रथम समीक्षा अगस्त के महीने में होगी और फिर प्रत्येक माह कार्यों की समीक्षा हुआ करेगी। अगस्त से हर माह 03 तारीख को मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल के सभी जिलाधिकारियों और मण्डल स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा की जायेगी। 20 तारीख को राज्य मुख्यालय लखनऊ में बैठक होगी जिसमें मण्डलायुक्त और सभी विभागों के राज्य स्तरीय सचिव/प्रमुख सचिव सम्मिलित होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट सचिव व मुख्य सचिव तथा मा0 मुख्य मंत्री सचिवालय के दो प्रमुख सचिव व पुलिस विभाग से सम्बन्धित सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। यदा–कदा मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं भी इसमें सम्मिलित होकर समीक्षा करेंगी।

24. इस बैठक का समय दोपहर 02:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक होगा। इससे पहले इसी दिन सभी विभागों के सचिव/प्रमुख सचिव पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अलग–अलग अपने विभागों की बैठक कर लेंगे।

उपरोक्त उल्लिखित बैठक (कैबिनेट सचिव के स्तर पर निर्धारित बैठक को छोड़कर) एक या दो दिन कैबिनेट सचिव के अनुमोदन से आगे पीछे की जा सकती है, यदि निर्धारित तिथि पर अवकाश हो या अन्य कोई अपरिहार्य स्थिति हो।

25. विभिन्न न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वाद लम्बित है जिनमें राज्य सरकार पक्षकार है। ऐसे सभी मामलों की समीक्षा आगामी दो माह में सक्षम स्तर पर की जाये और यदि सम्भव हो तो इन मुकदमों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर लिया जाये तथा तदनुसार इनके निस्तारण/पैरवी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

26. सम्भावित सूखा एवं बाढ़ से निपटने के लिये अभी से कार्य योजना तैयार कर ली जाये।

27. भारत सरकार द्वारा जिन योजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है उनका क्रियान्वयन उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

28. सरकार के विभिन्न विभागों के निरीक्षण गृहों एवं अतिथि गृहों की हालत ठीक नही हैं। इन्हे प्राथमिकता के आधार पर दो माह में ठीक करा लिया जाये।

29. शासन की मंशा स्वच्छ, विकासयुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था स्थापित करने की है जिसमें हर स्तर पर ईमानदारी एवं पारदर्शिता रहे तथा शासन एवं प्रशासन तंत्र जनता के प्रति जवाबदेह हो। अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2007 को हुई बैठक से सम्बन्धित कार्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के पत्र संख्या 157पी–2/07 दिनांक 23.05.2007 द्वारा प्राप्त निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर समयबद्ध अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसे आपको पत्र संख्या 539/पीएससीएच/07 दिनांक 30.05.2007 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

## सामान्य कार्य बिन्दु

जहाँ तक भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने हेतु प्रभावी कार्यवाही का सम्बन्ध है, सर्वसम्मति से निम्नांकित नीति के अनुसरण हेतु निर्णय लिये गये:–

1. स्वच्छ छवि के अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील पदों पर की जाये।
2. **खराब छवि के अधिकारियों की तैनाती महत्वहीन पदों पर की जाये।**
3. सभी विभागों द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर 15 दिनों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण यथावश्यक दायित्व निर्धारण के साथ किया जाये।
4. सतर्कता विभाग में जितने लम्बित मामले परिपक्व स्तर पर हैं, उनका एक माह में निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। अन्य मामलों में एक निर्धारित समय–सारिणी का अनुसरण करते हुये उन्हें शीघ्र निस्तारित किया जाये।
5. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिसमें जहाँ एक ओर दोषी व्यक्ति दण्डित हो वहीं दक्ष और ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कृत/प्रोत्साहित किया जाये।
6. व्यवस्था में पारदर्शिता लायी जाये तथा जहाँ–जहाँ 'डिसक्रिशन' है, उसे न्यूनतम किया जाये।
7. सभी मामलों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का अनुसरण करते हुये शीघ्रता बरती जाये।
8. जहाँ आवश्यक हो वहाँ 'ट्रैप' डालकर भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को पकड़ा जाये और उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाये।
9. लम्बित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियों को यथासम्भव एक माह में निस्तारित किया जाय तथा भविष्य में सभी अनुशासनिक कार्यवाहियों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।
10. फील्ड स्तरीय कार्यों की गुणवत्ता को परखने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किये जायें और गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

## बजट सम्बन्धी कार्य बिन्दु

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो धनराशि प्राप्त होनी है, इसका अनुसरण कर शीघ्र धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव नियोजन/वित्त एवं अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार अनुपालन आख्या शासन के ऊर्जा विभाग एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(अवनीश कु0 अवस्थी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)/(वित्त)/(वितरण)/(पारेषण)/(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II)/उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
3. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(अवनीश कु0 अवस्थी)
प्रबन्ध निदेशक